



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273309  
CG-DL-E-10062026-273309

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]  
No. 385]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.153— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (aa) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 16 के उप-विनियम (2) के खंड (क) में,

(क) “सबसे बड़े अठारह” शब्दों के पश्चात् “असंबद्ध” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यदि ऐसे असंबद्ध परिचालन लेनदारों की संख्या अठारह से कम है तो समिति ऐसे सभी असंबद्ध परिचालन लेनदारों को शामिल करेगी।”

3. मूल विनियमों में, विनियम 16घ के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**“16ड. जहां अनुसूचित बैंकों या लोक वित्तीय संस्थाओं से भिन्न लेनदार महत्वपूर्ण मतदान शेयर धारित करते हों वहां समिति को सहायता।**

जहां कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 2 के खंड (72) में यथा-परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या किसी लोक वित्तीय संस्था से भिन्न लेनदार, समिति में छियासठ प्रतिशत से अधिक मतदान शेयर धारित करते हैं. वहां समाधान व्यावसायिक-

(क) पांच सबसे बड़े असंबद्ध परिचालन लेनदारों को, जिसमें तीन ऐसे सबसे बड़े प्राधिकारी शामिल होंगे जिन्हें स्वीकृत दावों के मूल्य के आधार पर सांविधिक बकाया देय हैं, मतदान अधिकारों के बिना, प्रेक्षकों के रूप में बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा; और

(ख) समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में उनके संप्रेक्षणों को, यदि कोई हैं, अभिलिखित करेगा।”

4. मूल विनियमों के विनियम 31ख के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“31ख. दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के लिए समिति का अनुमोदन**

(1) समिति की प्रथम बैठक तक दिवाला समाधान प्रक्रिया की समस्त लागत, ऐसी लागत के लिए न्यायौचित्य सहित, समाधान व्यावसायिक द्वारा अनुमोदन के लिए समिति की प्रथम बैठक में रखी जाएगी।

(2) समाधान व्यावसायिक, समिति की प्रथम बैठक में चालू समुत्थान निर्धारण रिपोर्ट रखेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे –

(क) परिचालनों के जारी रखने से उद्भूत होने वाली प्राक्कलित आय, व्यय और नकदी प्रवाह;

(ख) कामकाजी पूंजी अपेक्षाओं के ब्यौरे, यदि कोई हैं; और

(ग) परिचालनों के जारी रखने या उसके निलंबन से उद्भूत होने वाले मूल्य ह्रास के तात्विक जोखिम।

(3) समिति, उप-विनियम (2) के अधीन रखी गई चालू समुत्थान निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर, यह विनिश्चित करेगी कि कारपोरेट ऋणी के परिचालन जारी रखे जाएं अथवा नहीं और यदि हां तो ऐसे परिचालनों की परिधि और अवधि।

(4) लेनदारों की समिति की प्रथम बैठक के पश्चात्, दिवाला समाधान प्रक्रिया की समस्त लागत समिति के पूर्व अनुमोदन से ही उपगत की जाएगी।

(5) उप-विनियम (4) के प्रयोजनार्थ, समाधान व्यावसायिक, समिति की प्रत्येक बैठक में –

(क) अगली बैठक तक की अवधि के लिए आय, व्यय और नकदी प्रवाह के प्राक्कलन की विवरणी रखेगा;

(ख) अगली बैठक तक उपगत किए जाने के लिए प्रस्तावित दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के लिए अनुमोदन की ईप्सा करेगा; और

(ग) वास्तविक दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत की तुलना पूर्ववर्ती बैठक में समिति द्वारा अनुमोदित लागत के प्राक्कलन से करते हुए एक विवरणी रखेगा।”

5. मूल विनियमों के विनियम 39 के उप-विनियम (3) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-  
 “(ख) निम्नलिखित के संबंध में अपनी विवेचना और तर्काधार अभिलिखित करेगी –
- (i) प्रत्येक समाधान योजना की साध्यता और व्यवहार्यता;
  - (ii) विनियम 35 के अधीन अवधारित उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की तुलना में लेनदारों के लिए प्रत्याशित वसूली; और
  - (iii) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान की गई बाजार खोज की पर्याप्तता, जिसके अंतर्गत चुनौती प्रक्रिया या योजनाओं का पुनःआमंत्रण भी है, जहां लागू हो।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./154/2026-27]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 371, तारीख 2 जून, 2026, में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.152., तारीख 1 जून, 2026 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 द्वारा किया गया था।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

#### Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2026

**F. No. IBBI/2026-27/GN/REG153.**— In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 16, in sub-regulation (2), in clause (a),

(a) after the words “eighteen largest”, the word “unrelated” shall be inserted;

(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that if the number of such unrelated operational creditors is less than eighteen, the committee shall include all such unrelated operational creditors.”

3. In the principal regulations, after regulation 16D, the following regulation shall be inserted, namely:-

**“16E. Assistance to committee where creditors other than scheduled banks or public financial institutions hold significant voting share.**

Where creditors, other than a scheduled bank or a public financial institution as defined in clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), hold more than sixty-six per cent of the voting share in the committee, the resolution professional shall—

- (a) invite the five largest unrelated operational creditors, which shall include the three largest authorities to whom statutory dues are owed, by value of admitted claims, to attend the meetings of the committee as observers with no voting rights; and
- (b) record their observations, if any, in the minutes of the meetings of the committee.”

4. In the principal regulations, for regulation 31B, the following regulation shall be substituted, namely:-

**“31B. Approval of committee for insolvency resolution process costs.**

- (1) All insolvency resolution process costs incurred till the first meeting of the committee, along with the justification for incurring such costs, shall be placed by the resolution professional for the approval of the committee at its first meeting.
- (2) The resolution professional shall prepare a Going Concern Assessment Report which shall include —
  - (a) estimated income, expenditure and cash flows arising from continuation of operations;
  - (b) details of working capital requirements, if any; and
  - (c) material risks of value erosion arising from continuation or suspension of operations.
- (3) The resolution professional shall place the Going Concern Assessment Report prepared under sub-regulation (2) at the first meeting of the committee and based on such Going Concern Assessment Report, the committee shall decide whether the operations of the corporate debtor shall be continued and, if so, the scope and duration of such operations.
- (4) After the first meeting of the committee of creditors, all insolvency resolution process costs shall be incurred only with the prior approval of the committee.
- (5) For the purpose of sub-regulation (4), the resolution professional shall, at each meeting of the committee—
  - (a) place statements of estimate of income, expense and cash flow for the period up to the next meeting;
  - (b) seek approval for insolvency resolution process costs proposed to be incurred until the next meeting; and
  - (c) place a statement comparing actual insolvency resolution process costs with the estimates of costs approved by the committee in the previous meeting.”

5. In the principal regulations, in regulation 39, in sub-regulation (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) record its deliberations and rationale on—

- (i) the feasibility and viability of each resolution plan;
- (ii) the expected realisable value to creditors in comparison with the fair value and liquidation value determined under regulation 35; and
- (iii) the adequacy of market discovery undertaken during the corporate insolvency resolution process, including, where applicable, the use of a challenge mechanism or re-invitation of plans.”

RAVI MITAL, Chairperson  
[ADVT.-III/4/Exty./154/2026-27]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30<sup>th</sup> November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30<sup>th</sup> November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2026 published vide notification No. IBBI/2026-27/GN/REG152., dated the 1<sup>st</sup> June, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 371 on 2<sup>nd</sup> June, 2026.